



बड़े पैमाने पर आधार डेटा उल्लंघन

प्रलिस के लिये:

बड़े पैमाने पर आधार डेटा उल्लंघन, [आधार](#), UIDAI, व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII), [साइबर हमला](#), डार्क वेब, डीप वेब, [IT नियम \(2021\)](#)।

मेन्स के लिये:

व्यापक आधार डेटा उल्लंघन, सरकारी नीतियाँ एवं वभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी, रसिक्योरिटी ने कहा कि [आधार](#) संख्या और पासपोर्ट वविरण सहति 815 मिलियन भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (Personally Identifiable Information- PII) डार्क वेब पर बेची जा रही थी।

- डेटा बेचने की धमकी देने वाले अभिकर्ताओं ने दावा किया कि इसे [भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद \(Indian Council of Medical Research- ICMR\)](#) से प्राप्त किया गया था, जसि पर [कई साइबर हमले](#) के प्रयास किये गए तथा वर्ष 2022 में 6,000 घटनाएँ दर्ज की गईं।

डार्क वेब क्या है?

- डार्क वेब उन साइट्स को संदर्भित करता है जो अनुक्रमित नहीं हैं तथा केवल विशेष वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही पहुँच योग्य हैं। डार्क वेब, डीप वेब का एक छोटा-सा हिस्सा है।
- हमारे महासागर और हमिखंड दृश्य का उपयोग करते हुए डार्क वेब जलमग्न हमिखंड का नचिला सरिा होगा।
- डार्क वेब इंटरनेट का एक छपिा हुआ भाग है तथा केवल विशेष सॉफ्टवेयर, कॉन्फिगिरेशन या प्राधकिरण का उपयोग करके ही इसे एक्सेस किया जा सकता है, जसिसे यह इंटरनेट का एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो औसत उपयोगकर्ता के लिये आसानी से उपलब्ध नहीं है।



व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी क्या है तथा धमकी देने वाले अभिकर्ताओं को संवेदनशील डेटा तक किस प्रकार पहुँच प्राप्त हुई?

- व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII):
 - PII वह जानकारी है जिसे अकेले या अन्य परासंगिक डेटा के साथ उपयोग करने पर किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।
 - PII पासपोर्ट जानकारी (Passport Information) या अर्द्ध-पहचानकर्ता (Quasi-Identifiers) ऐसे प्रत्यक्ष पहचानकर्ता हो सकते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति की सफलतापूर्वक पहचान के लिये अन्य जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है।
- संवेदनशील डेटा तक पहुँच:
 - डार्क वेब पर बिक्री के लिये चुराए गए डेटा की पेशकश करने वाले धमकी देने वाले अभिकर्ताओं ने यद्बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने डेटा कैसे प्राप्त किया, जिससे आगे की जानकारी के बिना डेटा लीक के स्रोत को इंगित करना असंभव हो गया।
 - ऑनलाइन डेटा बेचते हुए पाए गए दूसरे अभिकर्ता लूसियस ने दावा किया कि उसकी पहुँच लीक हुए 1.8 टेराबाइट डेटा तक है, जो किसी अज्ञात "भारत आंतरिक कानून प्रवर्तन एजेंसी" को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि दावे की पुष्टि होना अभी बाकी है।
 - शोधकर्ताओं द्वारा देखे गए डेटा नमूनों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) तथा आधार कार्ड सहित मतदाता पहचान पत्र के कई संदर्भ शामिल हैं। एक और संभावना यह है कि धमकी देने वाले अभिकर्ता ऐसे किसी तीसरे पक्ष की प्रणाली में संध लगाने में सफल रहे जिनके पास संबद्ध डेटा एकत्रित था।
- लीक हुए डेटा से संबंधित खतरे:
 - रसिकियोरटी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा वर्ष 2023 की पहली छमाही में सभी मूलवेयर का पता लगाने में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।
 - पश्चिम एशिया में अशांति एवं अराजकता का फायदा उठाने वाले खतरनाक तत्त्वों द्वारा किये गए हमलों में वृद्धि ने व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य डेटा को काफी हद तक उजागर कर दिया है, जिससे डिजिटल पहचान योग्य जानकारी की चोरी का खतरा बढ़ गया है।
 - धमकी देने वाले अभिकर्ता ऑनलाइन-बैंकिंग चोरी, कर धोखाधड़ी और अन्य साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के लिये चोरी की गई पहचान योग्य जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डेटा उल्लंघन के वगित मामले:

- वर्ष 2018, 2019 और 2022 में भी आधार डेटा के लीक होने की सूचना मिली थी, जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा लीक के तीन मामले सामने आए थे, जिनमें से एक में PM किसान वेबसाइट पर संग्रहीत किसानों के डेटा को डार्क वेब पर उपलब्ध कराया गया था।
- इससे पहले वर्ष 2023 में रपिडॉर्ट सामने आई कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक बॉट उन भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा चुरा रहा था, जिन्होंने कोवडि-19 वैक्सीन इंटेल्जिंस नेटवर्क (CoWIN) पोर्टल पर पंजीकरण कराया था।

भारत में डेटा गवर्नेंस से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

■ IT संशोधन अधिनियम, 2008:

- मौजूदा गोपनीयता प्रावधान भारत में IT (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत कुछ गोपनीयता प्रावधान मौजूद हैं।
- हालाँकि ये प्रावधान काफी हद तक कुछ स्थितियों के लिये वशिष्ट हैं, जैसे मीडिया में कश्चिरोँ और बलात्कार पीडितों के नाम प्रकाशित करने पर प्रतर्बिध।

■ जस्टिस के.एस. पुट्टासवामी (सेवानवृत्त) बनाम भारत संघ 2017:

- अगस्त 2017 में न्यायमूर्त के.एस. पुट्टासवामी (सेवानवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि भारतीयों के पास नजिता का संवेधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का आंतरिक हिस्सा है।

■ बी.एन. श्रीकृष्ण समिति 2017:

- सरकार ने अगस्त 2017 में न्यायमूर्त बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण हेतु वशिषज्जों की एक समिति नियुक्त की, जसिने डेटा संरक्षण वधिषक के मसौदे के साथ जुलाई 2018 में अपनी रपिर्त प्रस्तुत की।
- रपिर्त में भारत में गोपनीयता कानून को मज़बूत करने के लिये कई तरह की सफिराशिनँ हैं जनिमें डेटा के प्रसंस्करण और संग्रह पर प्रतर्बिध, डेटा संरक्षण प्राधिकरण, भूल जाने का अधिकार, डेटा स्थानीयकरण आदि शामिल हैं।

■ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशिया-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिम 2021:

- IT नयिम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में अधिकि सकरयि रहने के लिये बाध्य करता है।

■ IT अधिनियम, 2000 को प्रतस्थापति करने के लिये 'डजिटल इंडिया अधिनियम', 2023 का प्रस्ताव:

- IT अधिनियम मूल रूप से केवल ई-कॉमर्स लेन-देन की सुरक्षा और साइबर अपराधों को परभाषति करने के लिये डजिाइन किया गया था, यह वर्तमान साइबर सुरक्षा परदृश्य की बारीकयिों से पर्याप्त रूप से नहीं नपिट पाया तथा न ही डेटा गोपनीयता अधिकारों को संबोधति करता है।
- नया डजिटल इंडिया अधिनियम अधिकि नवाचार, स्टार्टअप को सक्षम करके और साथ ही सुरक्षा, वशिवास तथा जवाबदेही के मामले में भारत के नागरिकों की सुरक्षा करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परकिल्पना करता है।

आगे की राह

- UIDAI ने 'मास्कड' आधार का उपयोग करने की सफिराशि की, जो गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाते हुए आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शति करता है।
- इसके अलावा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक उच्चस्तरीय "पहचान समीक्षा समिति" के माध्यम से स्वतंत्र नरिक्षण फरि से शुरू करने हेतु आधार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये।
- सरकार को अनविर्य आधार उपयोग को स्वीकार्य उद्देश्यों तक सीमति करना चाहिये और आधार प्रमाणीकरण वफिल होने पर वैकल्पिक प्रमाणीकरण वधिषिँ प्रदान करनी चाहिये।
- उपयोगकर्त्ता अपने आधार डेटा को UIDAI की वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से लॉक करके सुरक्षति रख सकते हैं।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरकितता या अधविस के प्रमाण के रूप में कथिया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयिों की पहचान को सुरक्षति और त्वरति तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणति करने में मदद करता है, जसिसे सेवा वतिरण अधिकि लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरकितता का प्रमाण नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मकितताओं का एक सेट भी प्रकाशति कथिया है जो उसके द्वारा जारी आधार की अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मशिरति

या वषिम बायोमेट्रिकि जानकारी वाला आधार नषिकरयि कयि जा सकता है । आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिकरयि कयि जा सकता है ।

अतः वकिल्प D सही है ।

प्रश्न. “ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी” के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. यह एक सार्वजनकि बहीखाता है जिसका नरीक्षण हर कोई कर सकता है, लेकनि जिसि कोई एकल उपयोगकर्त्ता नयित्त्रति नहीं करता है ।
2. ब्लॉकचेन की संरचना और डज़िाइन ऐसा है कइसमें मौजूद सारा डेटा क्रपिटोकरेंसी के बारे में ही होता है ।
3. ब्लॉकचेन की बुनयिादी सुवधिाओं पर नरिभर एप्लीकेशन बिना कसिी की अनुमता के वकिसति कयि जा सकते हैं ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. सरकार की दो समानांतर चलाई जा रही योजनाओं, अर्थात् ‘आधार कार्ड’ और ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (NPR) एक स्वैच्छकि तथा दूसरी अनविरय, ने राष्ट्रीय स्तर पर वाद-वविादों एवं मुकदमेबाज़ी को जन्म दिया है । गुण-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजयि क कया दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यकता है या नहीं है? इन योजनाओं के वकिसात्मक लाभों और न्यायोचति संवृद्धिको प्राप्त करने की संभाव्यता का वशिलेषण कीजयि । (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/massive-aadhaar-data-breach>

